



मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
प्र०का० : मीना प्लाजा, संग्रहालय के दक्षिण (पटना)
madhya bihar gramin bank
H.O. Meena Plaza, South of Museum (Patna)

SHG-COMBO

(क)

कॉरपस मनी जमा निकासी करने तथा ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक शाखा को प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>फोटो</p></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>फोटो</p></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p>फोटो</p></div>
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
नाम	नाम	नाम
(शाखा इसे ही स्कैन कर सीवीएस में डाले)		
खाता संख्या.....	बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर (सत्यापित)	

प्रबंधक

मध्य बिहार ग्रामीण बैंक,

शाखा :

विषय : संचयी बचत तथा चक्र्रीय राशि की सहायता से किए गए लेनदेन के आधार पर स्वयं सहायता समूह का बचत सह ऋण खाता खोलने हेतु आवेदन।

महोदय,

हम उपरोक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सूचित करना चाहते हैं कि हम अपने समूह के द्वारा संचित या चक्र्रीय राशि की मदद से अपने समूह को पिछले तारीख से चला रहे हैं। अपने कार्यकलापों को सुगमता से संचालन हेतु अपना एक बचत सह ऋण खाता आपके बैंक में खोलना चाहते हैं। ताकि उक्त खाते में लेनदेन से अपनी संतुष्टि के बाद आप हमें हमारी पात्रता के अनुरूप ऋण/ओवरड्राफ्ट सीमा स्वीकृत कर सकें। हम इसके साथ अपना पहचान व स्थायी पता का प्रमाण तथा समूह द्वारा इस संबंध में पारित किए गए प्रस्ताव की प्रति भी संलग्न कर रहे हैं। समूह का ब्यौरा निम्नलिखित है :

स्वयं सहायता समूह का नाम और पता :

गठन/स्थापना की तारीख : पंजीकृत : हाँ/नहीं

यदि पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या और तारीख :

पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

समूह के सदस्यों की संख्या :

समूह को सहायता देने वाले एस.एच.पी.आई./एन.जी.ओ./वी.ए. का नाम (यदि कोई हो)

हम, उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कुल रु.

(रुपये) का ऋण लेना चाहते हैं; हमारे समूह का वित्तीय विवरण

दिनांक की स्थिति के अनुसार दिया गया है।

हम एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिए सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

समूह के सभी सदस्यों परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का प्राधिकार प्राप्त है।

हम इस बात से सहमत हैं कि बैंक द्वारा इस आवेदन के आधार पर खोला गया बचत सह ऋण खाता और उस खाते में हमारे द्वारा किए गए लेनदेन हमें अपने आप आवेदित ऋण निकासी करने के लिए पात्र नहीं बना देगा हम इस बात से भी सहमत हैं कि कम से कम माह तक खाते नियमित लेनदेन और तथा समूह के कार्यकलाप से संतुष्टि के उपरान्त ही बैंक अपने विवेकानुसार हमारे अनुरोध पर ऋण, राशि निकलने कि अनुमति देगा।

हम बैंक द्वारा यथानिर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती अथवा खाते में वांछित नियमित संचालन व प्रभारित ब्याज अदायगी करने के लिए सहमत हैं।

हम बैंक द्वारा इस खात में जमा निकासी अथवा ऋण /ऋण सीमा के नियम व शर्तों से बाध्य होने और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। कृपया हमें बैंक बुक तथा पासबुक प्रदान करें।

हम एतद् द्वारा बैंक को प्राधिकृत करते हैं कि वह जैसा उचित समझे अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से संबंधित कोई विवरण या सूचना नाबाई सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेंसी को प्रकट कर सकते हैं। इसके साथ दिए गए समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पायी जाती है और/अथवा तथ्यों की तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह हमारे समूह या हमें बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए अयोग्य करार दे सकता है और/अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण राशि या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है।

भवदीय

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

पद

नाम

1.
2.
3.

वित्तीय विवरण (दिनांक की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	विवरण	राशि (रुपये)
1.	सदस्यों से बचत
2.	एस.एच.पी.आई (एन.जी.ओ./वी.ए.) से प्राप्त सीड मनी (यदि कोई हो).....
3.	बकाया उधार (कृपया स्रोत स्पष्ट करें).....

क्रम. सं.	विवरण	राशि (रुपये)
4.	सदस्यों के समक्ष बकाया ऋण
5.	सदस्यों से चूक की राशि (यदि कोई हो).....
6.	वसूली का प्रतिशत
7.	रोकड़/बैंक जमा.....

भवदीय

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

पद

नाम

1.
2.
3.

मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्ठादित परस्पर करारनामा

प्रारूप 'ख'

यह करारनामा सन् के

माह दिन को

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 2. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 3. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 4. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 5. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 6. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 7. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 8. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 9. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |
| 10. | श्री / श्रीमती / कुमारी | पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री | <input type="checkbox"/> |
| | आयु | वर्ष | आवासीय पता |

जोसमूह के सदस्य हैं, इसके बाद आगे जिसे सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य कहा गया है, इस कथन में जब तक प्रसंग अथवा तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, पूर्वकथित स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य, उसके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्यादक और प्रशासक शामिल हैं।

ऐसी अवस्था में सभी स्वयं सहायता समूह सदस्य राज्यों के तालुका के गाँव के निवासी हैं और एक-दूसरे से परिचित हैं।

ऐसी अवस्था में उपर्युक्त नामों के स्वयं सहायता समूह सदस्य स्वेच्छा से मिले हैं और उसके बाद आगे दी गई शर्तों और निबंधनों के अनुसार आपसी हित के लिए बचतों और ऋण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के आशय से स्वयं सहायता समूह गठित किया है।

अतः अब यह करारनामा साक्ष्यांकित करता है कि :

(1) स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रु. (रुपये)

की राशि अथवा ऐसी राशि जो समूह द्वारा निर्णीत हो, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा।

(2) स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रत्येक सदस्य प्रयत्न करेगा और किसी भी तरह ऐसा कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुँचाए।

3) स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रसौविदा किए गए सभी ऋणों के लिए स्वयं सहायता समूह सदस्य संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित सभी परिसम्पत्तियाँ और सामान स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेंगे और सामान्यतया ऐसे सदस्य की आन्वयिक (कन्स्ट्रक्टिव) अभिरक्षा में रहेंगे जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा व्यवसाय के स्थान

.. पर रखे जायेंगे, जिसे स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(5) स्वयं सहायता समूह सदस्य, एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को विधिवत् चयनित और नियुक्त करते हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी को रूप में,

श्री / श्रीमती / कुमारी को रूप में,

श्री / श्रीमती / कुमारी को रूप में,

(जिस किसी नाम से अभिकल्पित किए गए हों)

(इसके पश्चात् प्रतिनिधियों के रूप में कहा गया है)

स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करने और प्रबंध करने तथा उनसे संबंधित सभी मामलों में उनके नाम से एवं उनकी ओर से भी कार्य करेंगे। तथापि, प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और नए प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

(6) स्वयं सहायता समूह सदस्यों में से प्रत्येक एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्यों, विलेखों और वस्तुओं के अनुसमर्थन का अनुपालन करने के लिए सहमत हैं जो पूर्वकथित गतिविधियों के हित में प्राधिकृत प्रतिनिधि करते हैं।

(7) स्वयं सहायता समूह के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्णय लेंगे तथा प्रत्येक प्रतिनिधि, विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों को करने में स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल करने में स्वयं को सक्रियता से सल्लय और सहयोग करेगा/करेंगी।

स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य एतद्द्वारा प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता है कि ये स्वयं सहायता समूह की ओर से ऋण/साख सुविधाओं के लिए आवेदन करें और इस प्रयोजन के लिए स्वयं सहायता समूह की ओरसे आवश्यक करारनामे/प्रलेख निष्पादित करें। प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह की ओर से बैंक से ऋण राशि प्राप्त करें, उसे स्वयं सहायता समूह के निर्णय के अनुसार सदस्यों को आगे ऋण देने के लिए और सदस्यों से ऋण की किस्तों की वसूली को बैंक के पास स्वयं सहायता समूह के ऋण खाते/खातों में जमा कराएँ।

(8) स्वयं सहायता समूह के सदस्य एतद्द्वारा प्रतिनिधियों को निम्नलिखित के लिए विशेषरूप से प्राधिकृत करते हैं।

(i) स्वयं सहायता समूह द्वारा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा के बचत, सार्वधि जमा राशियाँ और अन्य खाते खोलना और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत प्रतिनिधियों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित करना :

श्री / श्रीमती / कुमारी

श्री / श्रीमती / कुमारी

श्री / श्रीमती / कुमारी

(ii) स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई बचतों, उन्हें प्रदान किए गए ऋणों और उनसे प्राप्त वसूलियों के संबंध में उचित खाता-बहियाँ तैयार रखना अथवा रखवाना तथा प्रतिवर्ष सम्पूर्ण लेखों को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु देना।

(iii) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतानों को प्राप्त करना तथा स्वयं सहायता समूह के लिए और उसकी ओर से अपेक्षित रसीदें या पावतियाँ जारी करना।

(iv) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाहियों शुरू करना या प्रतिवाद तथा पूर्वकथित स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के हित की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अभिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना अथवा हटाना तथा उससे संबंधित आवश्यक विधिक व्यय करना।

(v) ऋण सुविधाओं / ऋणों के लिए आवेदन करना, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करना तथा स्वयं सहायता समूह के संयुक्त स्वामित्व में सम्पत्तियों/वस्तुओं को गिरवी/दृष्टिबंधक/बंधक के द्वारा ऋण सुविधाओं/ऋणों को सुरक्षित करना।

(vi) पूर्वकथित ऋण सुविधा/ऋण से संबंधित खाता खोलना और संचालित करना, बैंक अथवा अन्यथा द्वारा ऋण की राशि को संचितरित या निकालने के लिए अनुदेश देना, समय-समय पर खातों के भुगतान करना और शेष की पुष्टि करना तथा समय-समय पर हमारे अभिकर्ता के रूप में हम में से सभी I प्रत्येक की ओर से दायित्व स्वीकार करना।

(9) स्वयं सहायता समूह के किसी भी सदस्य को मृत्यु हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी हितों का हकदार होगा तथा इस करारनामे के अंतर्गत मृतक सदस्य की सभी बाध्यताओं के लिए जिम्मेदार होगा।

(10) सहमति दी जाती है कि विद्यमान सभी सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी नए व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पूर्वोक्त सदस्यों ने सन् के के माह के जो उनके नाम के सामने हैं।

सदस्यों के नाम (स्वयं सहायता समूह)

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

.....

17.

.....

18.

.....

19.

.....

20.

.....

साक्षी

1.

.....

2.

.....

(नोट : स्वयं सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे)



मध्य बिहार ग्रामीण बैंक madhya bihar gramin bank

(ग)

(करार के रूप में स्टाम्प लगाया जाए, अनुप्रमाणित न किया जाए)

स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान हेतु करारनामा

यह करारनामा मैसर्स (स्वयं सहायता समूह का नाम) लोगों/ व्यक्तियों का एक गैर - पंजीकृत समूह,
जिसका कार्यालय..... पर है, जिसका प्रतिनिधित्व
इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती (पदनाम).....
और श्री / श्रीमती (पदनाम).....
और श्री / श्रीमती (पदनाम).....
ने किया, जो स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत है (इस अधिकरण की प्रति संलग्न है और इस करार का एक भाग है। जिसे इसमें
आगे ऋणकर्ता कहा गया है, उसके विषय या विषय वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें तत्सम गैर पंजीकृत समूह के
सदस्य, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समनुदेशित शामिल है, एक पक्ष औरके
अंतर्गत स्थापित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक जिसका प्रधान कार्यालय, मीना प्लाजा, संग्रहालय से दक्षिण, पटना है और साथ ही साथ जिसकी एक शाखा
..... में है जिसे इसमें आगे बैंक कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में जबतक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ और उसमें
उत्तराधिकारी और समनुदेशित है, दूसरे पक्ष के द्वारा/अथवा सभी पक्ष के बीचमें 20..... माहके दिन.....
को यह करार (स्थान) किया गया।

THIS AGREEMENT is made on this day of20at

.....by and between M/s

(name of SHG) an unregistered association of persons / individuals having its office at represented by its authorized representatives Shri / Ms

(Designation) and Shri M/s

(Designation) who are fully authorized by all the members of the SHG (a copy of such authorization annexed hereto and forms part of this agreement), hereinafter referred to as "**the borrowers**", which expression shall, unless repugnant to the subject or context thereof, mean and include members of the unregistered association for the time being, their successors, legal heirs, administrators and assigns of the **one part and Madhya Bihar Gramin Bank**, a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 5 of 1970, having its Head Office at Meena Plaza, South of Patna Museum, Patna and one of its branches at hereinafter called "**the Bank**" which expression shall, unless repugnant to the subject or context thereof, mean and include its successors and assigns of the second part.

यथा ऋणकर्ता व्यक्तियों की एक गैर पंजीकृत संस्था है जो अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह के रूप में परस्पर सहमत है।

स्वयं सहायता समूह के तौर पर संगठन बनाकर पर ऋणकर्ता ने दिनांक के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसरण में ऋण देने के लिए विधिवत् प्राधिकृत उक्त श्री/श्रीमती (पदनाम).....

और

और श्री / श्रीमती (पदनाम).....

और श्री / श्रीमती (पदनाम).....

द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि वे रु. का ऋण प्रदान करें / रु.

..... (रुपये) तक की सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान करें जिसमें से वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे।

Whereas the borrowers are an unregistered association of persons who have inter-se agreed to help each other as members of Self-help Group with a view to developing and ameliorating their socio-economic conditions.

Whereas having formed the association as Self-Help Group, the borrowers as per application dated made by the said Shri/Ms

(name) (designation)
and Shri/Ms
(name) (designation)

duly authorized to borrow in terms of its resolution dated (copy annexed),, requested the Bank to grant "Demand Loan / Term Loan / extend Cash Credit / OD facility of * Rs. (Rupees only) upto the limit of Rs. (Rupees only) for on lending to its members.

whereas the Bank to grant the "Loan/extend facility to the borrowers on certain terms and conditions.

Note : *Delete whichever is not relevant.

यथा बैंक कुछ नियमों और शर्तों पर ऋण/अग्रिम सुविधा देने पर सहमत है और यथा बैंक और ऋणकर्ता समस्त शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक हैं।

And Whereas the Bank and the borrowers are desirous of reducing the agreed terms into writing.

अतः अब यह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :

Now, therefore, this agreement witnesseth as follows :

1. बैंक रु. (रुपये मात्र)
तक मीयादी ऋण/नकद ऋण (बेजमानती) सीमा के रूप में ऋण प्रदान करने और ऋणकर्ता ऋण लेने के लिए सहमत हैं और बैंक ने अपने बही खाते में ऋणकर्ता के नाम से दिनांक को जिसे ऋण सुविधा खाता संख्या (ऋण खाते के प्रकार का उल्लेख करें) खोला है।
1. The Bank has agreed to grant and the borrowers have agreed to borrow by way of **Demand Loan/** Term Loan / * Cash Credit / OD upto the limit of Rs. (Rupees only) hereinafter referred to as 'Credit Facility') and the Bank has opened (Specify the kind of loan account) A/c No. of date in the name of the borrowers in its books of accounts.
2. *ओवरड्राफ्ट / सीसी खाते में लागू *यदि नकदी ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा के अधीन नकद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्ता ब्याज सहित खाते में बकाया देयता और समय-समय पर नामे किये गये अन्य प्रभारों की चुकौती मांग किये जाने पर बिना किसी आपत्ति के करेगा।

**मांग ऋण के मामले में लागू **यदि लिए गए ऋण मांग ऋण हैं तो ऋण वापिस मांगने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रकारों की चुकौती करने का वचन देता है।

***मीयादी ऋण सुविधा के मामले में लागू ***यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गई ऋण सुविधा मीयादी ऋण है तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गई चुकौती अनुसूची में उल्लिखित ढंग से की जायेगी। (उल्लेख करें)। इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।
- 2: *Applicable in case of OD/CC "In case the facility availed in cash credit / OD, the borrowers will operate the cash credit / OD account satisfactorily and within the limit and the borrowers shall pay the outstanding liability in the account inclusive of interest and other charges debited from time to time after demand without demur.

**Applicable in case of

Demand Loan :

*** Applicable in Case of Term

Loan facility :

**In ase Loan availed is Demand Loan, the borrowers undertake to repay the loan on demand with interest and other charges.

***In case the credit facility availed of by the borrowers is Term Loan, the same shall be repayable in instalments in the manner specified herein below in the repayment schedule (to be specified). Besides, the borrowers will pay interest at the rates that may be prescribed for such lending by RBI/NABARD/the Bank from time to time.

3. ऋणी इस बात से सहमत है कि बैंक संदर्भित ऋणसीमा ऋणी द्वारा उपरोक्त ऋण खाते में कम से कम माह तक नियमित लेनदेन तथा समूह के सफल संचालन से संतुष्ट होने के बाद ही ऋण राशि निर्गत करेगा।
Borrowers agree that the Credit limit / Loan applied for and sanctioned by the bank will be released to them, only after regular transaction in the a/c with bank and successful conduct of affairs of the group for months to the satisfaction of the bank.
4. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिए बैंक ने ऋणकर्ता को यह सुविधा उपलब्ध कराई है तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कार्यवाही करने के बैंक के अधिकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की आपत्ति के तत्काल चुकाती करेगा।
It is clearly understood by and between the parties hereto that in the event of the borrowers' failure to utilize the proceeds of the credit facility for the purpose for which the same has been made available by the Bank to the borrowers, the borrowers shall repay immediately on demand without demur together with interest without prejudice to the Bank's right to initiate other legal action.
5. ऋणकर्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर परिकलित किये जाने वाले और उसमें मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक आधार पर नामे किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक जिस तरह निर्णय करे ब्याज का भुगतान करेगा।
The borrowers shall pay interest on the loans to be calculated on the daily balances in the loan account and be debited thereto monthly/quarterly/half-yearly rests or as the Bank may decide from the time to time.
6. ऋणकर्ता अपने सदस्यों और उसके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।
The borrowers shall utilize the proceeds of the credit facility for the purpose of lending to its members to improve the socio-economic conditions of their members and their families.
7. ऋणकर्ता इस बात से भी सहमत है कि उक्त ऋण एवं ब्याज के शेष रहने की अवधि के दौरान बैंक अधिकारियों, एजेंटों, अटार्नी या एडवोकेट या बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उनके व्यवसाय के खाता बहियों की जांच कर सकते हैं।
The borrowers agree that the Bank's officials, agents, attorneys or advocates or any other person duly authorized by the Bank shall always, during the period of the said loan and interest thereon remaining outstanding, shall have the right to inspect the books of accounts of their business.
8. ऋणकर्ता इस बात से सहमत हैं कि यदि उनके समूह के किसी सदस्य को किसी अन्य बैंक ऋण में चूककर्ता पाया जाता है तो इन्हें समूह से कोई वित्तीय सहायता नहीं देंगे। जबतक की वह सदस्य बैंक ऋण खाता को समायोजित/नियमित कर देता है।
Borrowers agree that they will not extend any credit to any member of their group in case that member is defaulter to MBGB or any other bank till the a/c where said member defaulted is closed / irregularised.
9. (i) ऋणी, भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/बैंक द्वारा इस प्रकार के ऋणों हेतु समय-समय निर्धारण अनुसार, ब्याज दरों सहित ली गई ऋण सुविधा की चुकाती करेगा। मासिक/तिमाही/छमाही दरों पर वर्तमान ब्याज % प्रतिवर्ष है।
(ii) The borrowers shall repay the credit facility availed of together with interest payable as per the interest rates that may be fixed by RBI/NABARD/the Bank from time to time for such lending. The present rate is per cent per annum with monthly / quarterly / half yearly rests.
(ii) बेसरेट (+)/बीपीएलआर (-) की दर से ब्याज % प्रतिवर्ष (+ % टर्म प्रीमियम) अर्थात् % प्रतिवर्ष, मासिक/तिमाही/छमाही अंतरालों पर उक्त खाते में बैंक को देय दैनिक शेष पर ब्याज गणना की जाएगी और माह के अंतिम कार्यदिवस के अनुसार चार्ज किया जायेगा जब तक ऋणी द्वारा समग्र रूप से भुगतान नहीं किया जाता और उक्त उल्लेखित दर से मूलधन पर लागू ब्याज दर लगेगी।

- (ii) That the interest at the rate of BPLR (minus) / Base Rate (plus)..... per cent per annum (plus per cent term premia) i.e. per cent per annum at present with monthly / quarterly / half yearly rests shall be calculated on the daily balance due to the Bank on the said account and shall be charged on the account on the last working day of the month so long as the debt herein incurred is not paid by the borrowers in its entirety and, will form part of principal and carry interest at the above mentioned rate.
- (क) ऋणी द्वारा देय, ब्याज तथा शेष की आवधिकता बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवधिकता और दरों के बदलाव/विभिन्न अनुसार होगी।
- (a) Interest payable by the borrowers and the periodicity of the rests shall be subject to changes / variations in interest rates and the periodicity of rests made by the Bank from time to time.
- (ख) बेसरेट/बीपीएलआर का अर्थ है बैंक का समय-समय पर निर्धारित बेसरेट/बीपीएलआर वर्तमान में बेसरेट/बीपीएलआर% प्रतिवर्ष है।
- (b) BPLR means Benchmark Prime Lending Rate of the Bank as prescribed from time to time. At present, BPLR is per cent per annum and Base Rate presently.
- (ग) किसी मामले में जहाँ कोई बेसरेट/बीपीएलआर दर न हो, ऋणी समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर अदा करने की सहमति देता है।
- (c) In the event of their not being any BPLR Rate / Base Rate, the borrowers agree to pay interest at the rate as prescribed by the Bank from time to time.
- (घ) ऋणी समय-समय पर लागू ब्याज कर, यदि कोई हो, अदा करने की सहमति देता है। बैंक को इसकी संगणना करने एवं खाते में चार्ज करने की प्रणाली के निर्णय लेने के अधिकार रहेंगे।
- (d) The borrowers agree to pay and bear interest tx, if any, at the rate as in force from time to time. The Bank shall have the discretion to decide the manner of computing and charging of the same in the account.
10. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि की चुकौती तथा उसके साथ इस प्रकार के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेंगे। वर्तमान ब्याज दर प्रतिमाह/तिमाही/छमाही है।
The borrowers shall be liable to pay overdue interest at the rate of or at the rate as may be fixed by the Bank from time to time in the event of failure to repay the facility availed in the stipulated manner and / or failure to pay interest as stipulated.
11. ऋणकर्ता, लीगई ऋण सुविधा के अंतर्गत उत्तरदायित्वों, देयों के लिए बैंक के प्रति संयुक्त एवं पृथक रूप से सहमत है।
The borrowers agree that their liability to the Bank for their dues under the credit facility availed is joint and several.
12. बैंक किसी भी समय पूर्व नोटिस दिए बिना नए अग्रिम देने पर रोक लगाने हेतु हमेशा स्वतंत्र है तथा ऐसे नोटिस को एतद्वारा प्रकट रूप से और बिना कारण बताए, चाहे पूर्वकथित ऋणसीमा का पूरी तरह से उपयोग भी न किया गया हो, हटा दिया गया है।
The Bank will always be at liberty to stop making fresh advances at any time without prior notice and service of such a notice is hereby expressly waived, and without assigning any reason even though the said limit has not been fully availed of .
13. यह कि ऋणी आगे सहमत हैं और बैंक को प्रचलन के दौरान और अपनी देयराशियों के भुगतान हेतु (सामान्य ग्रहणाधिकार और इन पर समंजन और प्रभार का अधिकार देते हैं)। ऋणियों अथवा उनमें से किसी एक की ओर से बैंक के कब्जे में आने वाले प्रत्येक विवरण की सभी चल सम्पत्तियाँ अथवा ऋणियों या उनमें से किसी एक की ओर से चाहे अकेले अथवा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से भारत में अथवा कहीं और बैंक द्वारा कुछ समय के लिए रखी गई सामान्यतया पूर्वधारणा के बिना जिनमें से शामिल हैं—कोई मुद्रा, बुलियन, जमाराशियाँ, धनराशियों की जमाराशि रसीदें, वचन-पत्र (प्रोमिजरी नोट) विनिमय-पत्र, हुण्डियाँ, स्टॉक, माल और वाणिज्यिक वस्तुएँ, रेलवे रसीदों सहित लदान बिलों, निरीक्षण टिप्पणियों सहित सरकारी बिल और संग्रहण के दौरान अन्य बिल, सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुएँ और अन्य प्रलेख या माल का हक और कोई अन्य परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय विलेख अथवा प्रतिभूतियाँ, हक के विलेख और प्रलेख तथा अचल सम्पत्ति को प्रभावित करने वालों से भिन्न किराया-क्रम करारनामों अथवा सविदाओं सहित प्रत्येक वर्णन के वाणिज्यिक प्रलेख और जिनकी पंजीकरण से संबंधित अधिनियमों अथवा कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा है और लेनदारों के रूप में ऋणियों अथवा किसी कारपोरेशन, एसोसियशन, कंपनी अथवा सिंडीकेट के हक का साक्ष्य करने वाले अन्य प्रलेख पर सामान्य देते हैं।
That the borrowers do further agree and hereby give to the Bank, during the currency and for the payment of its dues, a general lien and right of set off and charge on all movable property of every description coming into the possession of the Bank on account of the borrowers or any one of them or for the time being held by the Bank on behalf of the borrowers or any one of them whether alone or jointly with others in India or elsewhere including,

without prejudice to this generality, any moneys, bullion, deposit, deposit receipts for moneys, promissory notes, bills of exchange, hundies, stocks, goods and merchandise, bills of lading including railway receipts, Govt. bills with inspection notes and other bills in course of collection, articles in safe custody and other documents or title to goods and any other negotiable or transferable instruments or securities instruments and documents of title and mercantile documents of every description including hire purchase agreements or contracts other than those affecting immovable property and requiring registration under the Acts or laws relating to registration and other documents evidencing the title of the borrowers as creditors or members of any corporation, association, company or syndicate in India or elsewhere.

14. यह कि ऋणी एतद्द्वारा सहमत हैं कि इसके अधीन लिखित में देने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस को पर्याप्त रूप से दिया गया माना जाएगा यदि यह उसमें से किसी एक के बैंक के पास दर्ज उनके पते पर अथवा यदि ऐसा कोई पता दर्ज न होने पर उनके अंतिम ज्ञात पते पर और छोड़े गए ऐसे पते उन्हें डाक द्वारा उक्त पते अथवा स्थान पर अग्रेषित कर दिया जाए। और ऋणी एतद्द्वारा आगे सहमत है कि कथित बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा ऋणी को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनको कोई पैरोल नोटिस प्रभावी रूप से माँग की जाएगी अथवा उसको पिछले ज्ञात पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

That the borrowers hereby agree that any notice in writing requiring to be served hereunder shall be sufficiently served if addressed to anyone of them at their address registered with the Bank or, in the event of no such address being registered, at their or anyone of their last known place of residence or business and left at such address or if forwarded to anyone of them by post at the address or place as aforesaid. And the borrowers do hereby further agree that any demand hereunder may effectually be made by parole notice to any one of them by an officer of the said Bank or by notice in writing under the hand of such officer either served personally on the borrowers or anyone of them or left for or sent by post to anyone of them at their usual or last known place of business.

15. उपर्युक्त के मद्देनजर दायित्व को सुरक्षित रखने तथा ऋण की देय चुकौती के लिए ब्याज, डिस्काउंट, कमीशन, प्रभार, लागत तथा देय व्यय तथा बैंक द्वारा हुये व्यय के साथ चुकौती के लिए ऋणी एतद्द्वारा सहमत है और पुष्टि करता है कि :

With a view to securing the obligations as contained hereinabove and to secure the due repayment of the said loan amount together with interest, discount, commission, charges costs and expenses payable and incurred by the Bank in relation thereto, the borrowers hereby agree and confirm that :

- (i) फसलों सहित उनकी सभी सम्पत्तियाँ, हर्ड/फ्लॉक/फिश/सिल्कवार्म, काकून इत्यादि और उपकरणों को शेडयूल में विशेषतया वर्णित होंगे।
all their assets including crop whatsoever, herd/flock/fish/silkworms, cocoons, etc. and the equipments more particularly described in the Schedule hereunder written;
- (ii) उनके वर्तमान और भविष्य के स्टॉक चाहे कच्चा, उत्पाद की प्रक्रिया में या तैयार रूप में और / या अचल मशीनरी उपकरण, स्टोर तथा स्पेयर्स और या उपभोग वस्तुएँ और कारोबार/उपयोग से सम्बद्ध सहायक सामान और अन्य सभी अचल सम्पत्तियाँ जैसा भी मामला हो, और the whole of their present and future stocks, whether raw, in process of manufacture or in finished form and/or movable machinery, equipments, tools, stores and spares and/or consumable articles and accessories and all other moveable assets relating to business or industry as the case may be; and
- (iii) उनकी वर्तमान और भविष्य की बहिया, बकाया राशियाँ, प्राप्तियाँ, क्लेम, बिलों, संविदाओं, व्यवस्थाओं, प्रतिभूतियों, निवेश अधिकारों (जिन्हें बाद में बही ऋण कहा गया है),

their present and future book debts, outstanding moneys, receivables, claims, bills, contracts, engagements, securities, investments, rights (which shall hereinafter be referred to as book debts),

ऊपर उल्लेखित कॉलम (i) तथा (ii) में वर्णित सामान (माल) तथा (iii) में उल्लेखित बही ऋण को प्रतिभूति(यों) के रूप में कहा जायेगा और प्रथम चार्ज के रूप में बैंक द्वारा दृष्टिबंधक रखी जायेगी।

and both the said goods as mentioned at (i) and (ii) above and book debts as mentioned at (iii) above shall be referred to as "security(ies)", shall stand and be hereby hypothecated to the Bank by way of first charge.

ऋणी घोषणा करता है कि सम्पत्तियाँ/वस्तुएँ जो नीचे प्रदान की गयी है, संयुक्त स्वामित्व में है।

The borrowers declare that the assets/goods as provided hereunder are in the joint ownership .

जो लागू न हो काट दें।

• *Delete whichever is not relevant*

16. ऋणी सहमत है और पुष्टि करता है कि बैंक किसी क्षति पर हुये व्यय तथा समस्त विधिक व्यय व समस्त खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा कानूनी उपायों पर व्यय के लिए स्वाधिकार रखेगा।

The borrowers agree and confirm that the Bank, without being bound to do or being liable for any loss. on account thereof and without prejudice to its rights and remedies of suit or otherwise shall be entitled to :

(क) बैंक बिना नोटिस के और उनके जोखिम तथा व्ययों, प्रतिभूति(यों) के स्थान पर निरीक्षण, मूल्य, बीमा, निपटान और या उसका अधिग्रहण कर सकता है

without notice to and at their risk and expenses, enter any place(s) wherever the security may be, and inspect, value, insure, superintend disposal and/or take possession thereof;

(ख) बिना पूर्ववर्ती क्षति, उनके द्वारा भुगतान में हुई चूक या किसी उत्तरदायित्व को पूरा न करने, जिसे बैंक प्रतिभूति जो जोखिम में डालना मानता है, अधिग्रहण कर सकता है और वसूल और या पब्लिक नीलामी या प्राईवेट ठेके द्वारा बेच सकता है या अन्यथा प्रतिभूति का निपटान तथा बकाया ऋणों की प्रतिपूर्ति कर सकता है, या

without prejudice to the foregoing, on default by them in payment of any money hereby secured or on the non-performance of any obligation on their part or on the occurrence of any circumstance which if! the opinion of the Bank endangering the security, take possession of, recover and/or sell by public auction or private contract or otherwise deal with the security and appropriate the proceeds to outstanding loans; or

(ग) उनसे सम्बद्ध बकाया ऋणों तथा राशियों और शेष की वसूली, यदि कोई हो, के लिए, इसके बावजूद कि सभी या कोई प्रतिभूति से वसूल किया जा सकता है, कार्रवाई करेगा।

apply towards the outstanding loans any moneys in its hand belonging to them and to repay!!tr the balance, if any, of the loans notwithstanding that all or any of the security may not have been realised;

(घ) प्रतिभूति से सम्बद्ध, अधिकारों, बहियों, दावों से सम्बद्ध किसी भी प्रकार से डील करेगा।

deal in any manner with any of their rights, debts or claims in relation to the security.

17. ऋणी सहमत है पुष्टि करता है कि उक्त सभी वस्तुएँ, ऋण बहियाँ और सभी बिक्री प्राप्तियाँ और बीमा प्राप्तियाँ तथा सभी दस्तावेज प्रतिभूति के तहत रहेंगे और बैंक के निर्देशानुसार केवल बैंक की सम्पत्ति रहेंगे और बैंक के पक्ष में रखी प्रतिभूतियों के अलावा सभी प्रतिभूति(या) मुक्त तथा किसी भी प्रभार/बाधा से मुक्त रखी जायेगी।

The borrowers agree and confirm that all the said goods, book debts, and all the sale proceeds and insurance proceeds thereof and all documents under this security shall always be distinguishable and held 3S the Bank's exclusive property, specifically appropriated to this security to be dealt with only under the directions of the Bank, and that all the security(ies) are free and shall be kept free from any charge or encumbrance except those in favour of the Bank.

18. ऋणी सहमत है और पुष्टि करता है कि बैंक के पक्ष में विभिन्न सुविधाओं हेतु सृजित प्रतिभूति और क्षतिपूर्ति और वचनपत्र सतत प्रतिभूति के रूप में आपरेटिव रहेंगे और/या क्षतिपूर्ति और/या वचन पत्र उक्त ऋण के अंतर्गत उनकी समस्त राशियों, ऋणग्रस्तता और उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में खोले गये खाते में अदा हेतु आपरेटिव रहेंगे और उक्त खाते(तों) को इस प्रकार की प्रतिभूति के उद्देश्य बंद करने हेतु विचार नहीं किया जायेगा और/या क्षतिपूर्ति और या वचनपत्र(त्रों) को केवल इस कारण खत्म नहीं समझ लेना चाहिए कि उक्त खाते के कारण या किसी भी समय या समय-समय पर क्रेडिट लाने या किसी आंशिक भुगतान किये जाने या इस प्रकार के खाते(तों) में किसी प्रकार के विचलन उतार-चढ़ाव और बैंक के सभी अग्रिमों की चुकौती किये जाने और समग्र प्रतिभूति आहरण करने, तथापि किसी भी खाते(तों) या किसी भी समय खातों में से किसी खाते को बंद कर दिया गया हो, उपरोक्तानुसार दोबरा उक्त करार के अंतर्गत जारी रखा जायेगा।

The borrowers agree and confirm that the security created and indemnities and undertakings given hereby in favour of the Bank-for various facilities shall be operative as continuing security and/or indemnities and/or undertakings for all their moneys, indebtedness and liabilities under the said loan and will be operative as security and/or indemnities and/or undertakings for the ultimate balance or aggregate balances with interest thereon and costs, if any, to become payable upon the account(s) to be opened and the said account(s) is/are not to be considered to be closed for the purpose of such security and/or indemnities and/or undertaking(s) is/ are not to be considered exhausted merely by reason of the said account(s) either or any of them being brought to credit at any time or from time to time or any partial payments made thereto or any fluctuations of such account(s) and if the whole of the Bank's advances shall be repaid and the whole of the security withdrawn, the account(s) of either or any of them may nevertheless, at any time before such account(s) has or have been closed, be continued under the said agreement upon the security as aforesaid being again furnished.

19. ऋणी दृष्टिबंधक रखी सम्पत्ति, पब्लिक डिमांड के रूप में अन्य सम्पत्तियां या जहां इस प्रकार के विधान में इस प्रकार की सहमति आवश्यक हो या वसूली से सम्बद्ध भूमि राजस्व के रूप में किसी विधान के अनुसार ऋण वसूली करने पर सहमति प्रदान करता है।

The borrowers give their consent for the loans recovered from the assets hypothecated hereunder and/or other assets as a public demand or as land revenue in terms of any legislation relating to recoveries thereof, where such consent is necessary under such legislation.

20. ऋणी बैंक की शक्तियों के अनुसार बैंक की लिखित अनुमति प्राप्त करने के अलावा, सामान्य कारोबारी परिस्थितियों में जब तक ऋण की कोई राशि चुकौती हेतु बकाया है, बैंक के पास रखी प्रतिभूति के रूप में रखी/सुरक्षित/स्टोर की गयी वस्तुओं को वहां से नहीं हटायेगा, न ही निपटायेगा। उक्त प्रतिभूति, यदि बैंक द्वारा अपेक्षित है, तो उसे तत्काल बैंक के पास गिरवी रखा जायेगा।

The borrowers shall not, except in the normal course of business but subject to the powers of the Bank herein contained, cut/remove/dispose of the security from the place(s) wherever normally they/those may be kept/preserved/stored without the prior written permission of the Bank during the time any money herein mentioned shall remain outstanding. The said security, if so, required by the Bank, shall be immediately

21. (i) ऋणी सहमत हैं कि ऋणी(यों) को ऋण/अग्रिम/अन्य गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं के दिए जाने से सम्बद्ध पूर्व शर्त के रूप में बैंक ऋणी से सम्बद्ध कोई भी सूचना और आंकड़ों के प्रकट करने पर ऋण से सम्बद्ध ऋणी द्वारा ली गयी/ली जाने वाली ऋण सुविधाओं, प्राप्त उत्तरदायित्व लिये जाने वाले उत्तरदायित्व और ऋणी द्वारा ऋण निपटान की कोई चूक, यदि कोई हो, पर उसकी/उनकी सहमति की अपेक्षा करता है।

The borrower(s) understand(s) that as a pre-condition relating to grant of loan/advances/other non-fund based credit facilities to the borrower(s), the Bank requires his/her/their consent for disclosure by the Bank of, information and data relating to the borrower(s), the credit facilities availed of, to be availed, by the borrower(s), obligations assumed/to be assumed, by the borrower(s) in relation thereof and default, if any, committed by the borrower(s) in discharge thereof.

- (ii) तदनुसार, ऋणी एतद्द्वारा सहमत है और बैंक द्वारा सभी व निम्नानुसार कोई भी सूचना प्रकट करने पर सहमति देता है -

Accordingly, the borrower(s) hereby agree(s) and give(s) consent for the disclosure by the Bank of all or any such:

- (क) ऋणी(यों) से सम्बद्ध सूचना और आंकड़े।
(a) information and data relating to the borrower(s);
(ख) ऋणी(यों) द्वारा ली गयी/ली जाने वाली ऋण सुविधाओं से सम्बद्ध सूचना या आंकड़े।
(b) the information or data relating to any credit facility availed of to be availed by the borrower(s); and
(ग) इस प्रकार के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में ऋणी(यों) द्वारा की गयी कोई चूक।

बैंक जैसे भी उचित और आवश्यक समझे, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लि. को या किसी अन्य एजेंसी को जैसा भी भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत करें, सूचना प्रकट कर सकता है।

- (c) default, if any, committed by the borrower(s) in discharge of his/her/their such obligation, as the Bank may deem appropriate and necessary to disclose and furnish to Credit Information Bureau (India) Limited and any other agency authorized in this behalf by Reserve Bank of India (RBI).

- (iii) ऋणी घोषणा करता है कि ऋणी द्वारा बैंक को सुपुर्द की गयी सभी सूचनाएँ एवं आंकड़े सत्य हैं और सही हैं।

- (iii) The Borrower(s) declare(s) that the information and data furnished by the borrower(s) to the Bank are true and correct.

- (iv) ऋणी घोषणा करता है कि :-

- (iv) The Borrower(s) undertakes that :-

- (क) क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और प्राधिकृत अन्य कोई भी एजेंसी उक्त सूचना तथा आंकड़ों को बैंक द्वारा जैसा भी उचित समझा जाये, प्रकट कर सकती है।

- (a) The Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other Agency so authorized may use, process the said information and data disclosed by the Bank in the manner as deem fit by them;

- (ख) क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लि. और प्राधिकृत अन्य कोई एजेंसी, संसाहित सूचना तथा आंकड़ों को या उनके द्वारा तैयार सूचना को बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट मास्टर्स या रजिस्टर्ड यूजर्स को, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक, प्राधिकृत करें, विचारार्थ भेज सकते हैं।

- (b) The Credit Information Bureau (India) Ltd. and any other Agency so authorized may furnish for consideration, the processed information and data or products thereof prepared by them to banks financial institutions and other credit grantors or registered users as may be specified by RBI in this behalf.

22. ऋणी एतद्द्वारा पूर्व शर्त के रूप में सहमति प्रदान करता है कि बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण/अग्रिम की चुकौती में चूक या ब्याज के भुगतान में चूक या देय तारीखों को किश्त के भुगतान में चूक पर भारतीय रिजर्व बैंक को यह सर्वाधिक रहेगा कि वह जैसा भी उचित समझे, वह चूककर्ताओं के नामों को प्रकट कर दौं)

The Borrowers hereby agree as a pre-conditions of the loans/advances given to them by the Bank that in case they commit default in the repayment of loan/advance or in the repayment of interest thereon or any of the agreed instalments of the loan on the due date(s), the Bank and / or the Reserve Bank and / or the Reserve Bank of India will have an unqualified right to disclose their name(s) as defaulters in such manner and through such medium as the Bank or Reserve Bank of India in their absolute discretion may think fit.

सम्पत्ति/दृष्टिबंधक प्रतिभूति की अनुसूची / SCHEDULE OF PROPERTY/SECURITY HYPOTHECATED

चुकौती अनुसूची / REPAYMENT SCHEDULE

(कृपया निर्दिष्ट कर) / (please specify)

जसके साक्ष्य में पक्षों ने इसमें दिन, माह व वर्ष जैसा कि ऊपर लिखा गया है, को अपने-अपने हस्ताक्षर किए :

In witness whereof the parties hereto have affixed their signatures on the day, month and year first hereinabove written.

स्वयं सहायता समूह के लिए / FOR SHG

बैंक के लिए / FOR THE BANK

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि
1. Authorised Representative
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि
2. Authorised Representative

प्रबंधक / MANAGER

SPONSORSHIP LETTER FROM NGO/SHPI

To,
The Branch Manager,
Madhya Bihar Gramin Bank,

Date : _____

विषय : स्वयं सहायता समूह को बैंक से सम्बद्ध करने हेतु प्रस्तावों का समर्पण
Sub. : Linking of SHG with Bank, Submission of Proposals

महाशय/Dear Sir,

निम्नलिखित स्वयं सहायता समूहों के ऋण प्रस्तावों को स्वयं सहायता समूह-बैंक सम्पर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा प्रस्तावित किया जाता है।

We forward herewith the loan proposals from the following SHGs for availing credit facilities from your bank under the SHG - Bank Linkage Programme.

क्र.सं. S.N.	स्वयं सहायता समूह का नाम Name of SHG	सदस्यों की संख्या No. of Members	प्रस्तावित ऋण राशि Loan Required

आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इसका निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

Kindly consider the request and do the needful at your earliest.

धन्यवाद सहित,

With regards,

भवदीय / भवदीया

Yours sincerely,

(.....)

* गैर सरकारी संगठन/ऋण आवेदन पत्र की शीघ्र बैंक से जोड़ने सम्बन्धि करने के समय इस्तेमाल किये जाने के लिए ।

* To be used when NGO/SHPI is sponsored SHGs loan application to bank for direct linkage.

**प्रायोजक द्वारा
समूह का आकलन प्रपत्र**

1. समूह के सदस्यों द्वारा एकरूपता एवं सहभागिता का अनुभव	कुल अंक	प्राप्तांक	8. आन्तरिक लेनदेन की गति -	कुल अंक	प्राप्तांक
(समूह के साथ बातचीत के दौरान हुए अनुभवों के आार पर)	8		सूत्र - कुल वितरित ऋण राशि	4	
क) बहुत मजबूत	6		कुल बचत		
ख) मजबूत	3		क) 1.5 गुणा से अधिक	4	
ग) कमजोर	1		ख) 1-15 गुणा के अन्तर्गत	2	
2. समूह संबंधी प्रशासकीय मुद्दे	7		ग) 1 गुणा से कम	1	
(कुल अंकों के जोड़ के साथ)			9. ऋण वापसी शर्त	4	
क) समूह से जुड़े कार्यक्रमों के उद्देश्यों के बारे में जागरूकता।	3		क) मासिक किरत	4	
ख) समूह निर्माण के नियमों की विस्तृत जानकारी।	1		ख) त्रैमासिक किरत	3	
ग) समूह सदस्यों द्वारा नेतृत्व की जिम्मेदारियों में सहभागिता।	2		ग) एक मुश्त भुगतान	2	
घ) समूहवार बचत एवं ऋण की स्थिति की विस्तृत जानकारी।	1		घ) विशिष्ट शर्त नहीं - मामले के अनुसार	0	
3. बैठक की रूपरेखा	7		10. सामुदायिक निवेश निधि/सूक्ष्म वित्त पोषण/बैंक संयोजन -	10	
(पिछले छः महीने का अनुभव)			क) किसी भी वित्तीय सस्था द्वारा दिये गये ऋण की वापसी नियमित रूप से हो रही है।	10	
क) बैठक नियमित रूप से नियत दिन, समय और स्थान पर किये जाते हैं।	7		ख) किसी भी संस्था द्वारा दिये गये ऋण की वापसी में बकाया है।	6	
ख) बैठक नियमित रूप से माह में एक बार किये जाते हैं, लेकिन सदस्यों की सहूलियत के आधार पर।	5		ग) समूह द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु सम्पर्क किया गया, किन्तु ऋण नहीं मिला।	5	
ग) बैठक निरंतर तो नहीं, लेकिन नियत दिनांक, समय तथा स्थान पर किये जाते हैं।	3		11. आपसी लेन-देन का स्वरूप	9	
घ) बैठक अनियमित होते हैं।	1		क) अधिकतर सदस्यों द्वारा ऋण का लाभ जरूरत के हिसाब से लिया जात है।	9	
4. बैठक में उपस्थिति	7		ख) सभी सदस्यों के बीच ऋण का समान रूप से वितरण किया जाता है।	5	
क) सभी सामूहिक बैठकों में 90% से अधिक की उपस्थिति।	7		ग) कुछ ही सदस्यों के द्वारा बार-बार ऋण लिया जाता है।	2	
ख) सभी सामूहिक बैठकों में 70% से 90% की उपस्थिति।	5		12. वापसी प्रतिशत	9	
ग) सभी सामूहिक बैठकों में 60% से कम की उपस्थिति।	2		क) वापसी प्रतिशत 95% से ऊपर।	9	
5. समूह में वित्तीय लेन-देन	7		ख) वापसी प्रतिशत 90% से ऊपर।	5	
(छः महीने का अनुभव)			ग) वापसी प्रतिशत 80% से ऊपर।	4	
क) सभी बचत जमा, वित्तीय निर्णय तथा ऋणों का वितरण बैठक में ही किया जाता है।	7		13. अभिलेखों का संधारण (अंकों के कुल जोड़ के साथ)	9	
ख) सभी बचत जमा तथा अन्य वित्तीय निर्णय बैठकों में ही लिए जाते हैं, किन्तु ऋण का वितरण बाहर किया जाता है।	7		क) समूह नियमावली का पालन	3	
ग) बचत जमा तथा वित्तीय निर्णय दोनों बैठक से बाहर लिए जाते हैं।	2		ख) बचत समाहरण	2	
6. वित्तीय लेन-देन के प्रति सदस्यों की जागरूकता	7		ग) ऋण वितरण	2	
क) सारे सदस्य सभी वित्तीय लेन-देन के प्रति जागरूक हैं।	7		घ) सदस्यवार का बचत एवं ऋण के अभिलेख का संहारण	2	
ख) करीब 75% सदस्य जागरूक हैं।	6		14. ग्राम संबंधित मुद्दों में सम्मिलित होना	7	
ग) कुछ ही सदस्य जागरूक हैं।	3		क) ग्राम संबंधी मुद्दों में सम्मिलित होना।	7	
घ) कोई सदस्य जागरूक नहीं हैं।	1		ख) कभी कभी ग्रामीण मुद्दों के समाह्वान में सम्मिलित होना।	4	
7. बचत की नियमितता (छः महीने का अनुभव)	7		ग) समूह ग्रामीण मुद्दों में कभी नहीं सम्मिलित होता।	1	
क) 90% से ज्यादा सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	7				
ख) 75% से ज्यादा सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	5				
ग) 50% से कम समूह के सदस्यों द्वारा समय पर बचत की जाती है।	2				

1. कुल प्राप्त अंक :

2. श्रेणी

* मूल्यांकन करने वाले का नाम :

हस्ताक्षर

क - श्रेणी - 80 अंक से ज्यादा (अच्छा समूह)

ख - श्रेणी - 70-80 अंक (औसत समूह)

ग - श्रेणी - 70 से कम अंक (औसत से नीचे)

मूल्यांकन की तिथि

PROCESSING NOTE FOR SANCTION OF CREDIT LIMIT TO SHG

A/c

1. We have visited the place of SHG & checked their records and also delebrations among group members. These are satisfactory / Good / unsatisfactory.
2. As per score sheet given over leaf, the above mentioned SHG has secured points and is fit / unfit for sanction.

Signature of
Recommending /
Sanctioning Authority

Credit limit of Rs. is hereby sanctioned.

Signature of Sanctioning Authority

As recommended by

Credit proposal is rejected on the ground of the fact that

Signature of sanctioning Authority

Assessing of Self-Help Group under SHG Bank - Linkage Programme

Sl. No.	Category	Indicators given	Rating	Rating
i.	Number of members	Less than 10 Between 10-15 From 16 and up to 20	02 03 05	
ii.	Composition	Target group only Having 1 to 5 Non-Target Group member Having more than 5 Non-Target Group member	05 03 01	
iii.	Age of the SHG	More than 2 years 1-2 years 6 months to 1 year	10 07 05	
iv.	Monthly meetings during last six months	Four and above Two to three	05 03	
v.	Attendance of members in the group meetings	More than 90% 70% to 90% Less than 70%	10 05 02	
vi.	Participation of members at group meetings (should be ascertained through interview)	High Medium Low	05 03 02	
vii.	Savings : a) Regularity b) Quantum of savings (through members only)	If default rate is up to 10% up to 25% up to 50% But default is met during succeeding month Between Rs. 2,000 and Rs. 5,000/- Below Rs. 2000/-	10 07 05 10 07	
viii.	Group's Internal Loaning a) Utilisation of savings by grants of internal loans b) Interest rate on group's c) Group's internal loan Recovery Rate d) Members benefited out of group's internal loaning	Above 90% 51% to 90% 30% to 50% Depending upon purpose Less than 18% 100% Between 80% to 95% Between 70% to 80% More than 50% Between 25% to 50% Less than 25%	10 07 05 05 02 10 07 05 05 03 02	
Total Score :				

Selection Criteria of SHGs for linkage Scoring		Status for Selection
I	SHG scoring more than 80 points	I. Selection without any reservation
II.	SHG scoring 60-79 points	II. Selection with caution
III.	SHG scoring less than 60 points	III. Not suitable for linkage

Signature of Processing officer of Bank

Signature of Branch Manager